

क्रमांक :- 90-क/जोन-4/2025/.....

दिनांक :-

श्री चुन्नीलाल परिहार पुत्र श्री कपुरा राम परिहार,
आशीवाद डपलपर्स एण्ड प्रोपर्टीज जरिये
भागीदार श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री प्रदीप शर्मा,
श्री मेहुल जैन पुत्र श्री दिलीप जैन,
श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री कपुरा राम जी,
श्री नरपत सिंह पुत्र श्री जेठा राम जी, निवासीगण – जोधपुर।

विषय:- निजी खातेदारी आवासीय योजना ग्राम चौखा के खसरा सं. 660/1, 660/2
व 660/5 में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहनमुक्त करने
बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम चौखा
के खसरा सं. 660/1, 660/2 व 660/5 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा भूमि की आवासीय
योजना में आपके द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति
की रिपोर्ट की अनुशंसा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त योजना में रहन रखे गये भूखण्ड
सं. 19, 29, 30, 45, 46, 61, 62, 77, 78, 79, 80, 81 व 82 कुल 13 भूखण्डों को रहन मुक्त
किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उपायुक्त जोन-04
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

Signature valid

Digitally signed by Aditi Purohit
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.12.24 17:56:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19566047

